देश

उवाच

मुस्लिम समाज सियासत, रोजगार और शिक्षा में काफी पीछे छूटते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एक दल विशेष की बंधुआ मजदूरी और किसी नेता के पिछलग्गू बनने की आदत है। आप तेल बनकर लालटेन में जल रहे हैं और दूसरा रौशनी का मजा ले रहा है।

-प्रशांत किशोर, जन सुराज के संस्थापक

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	38.0	30.0
मुंबई	28.0	26.0
कोलकाता	32.0	28.0
चेन्नई	31.0	28.0

पाकिस्तानी घुसपैठ रोकना केंद्र का काम : महबूबा

डोडा मुठभेड़ को लेकर पीडीपी प्रमुख ने भाजपा पर साधा निशाना

जम्मू, 16 जुलाई (एजेंसियां)। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने डोडा मुठभेड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के डीजीपी को भी बर्खास्त करने की मांग की है। डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित सेना के चार जवान और एक स्थानीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हबूबा मुफ्ती ने कहा, यहां पिछले छह साल से भाजपा का शासन चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि धारा 370 हटने के बाद सब सही चल रहा है। इसके बावजूद यहां लोग क्यों मारे जा रहे हैं। कश्मीर के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही घुसपैठ को रोकना केंद्र सरकार का काम है। कश्मीर के बहुसंख्यक लोगों को पाकिस्तानियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सरकार को पहले कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए।

पीडीपी प्रमुख ने की राज्य के डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग

जांच ऐजेंसियों का दुरुपयोग कर रही सरकार

महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों के डीजीपी रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुफ्ती ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू क्षेत्र में सैनिकों की हत्या पर कोई जवाबदेही नहीं है। पीडीपी अध्यक्ष श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, कोई जवाबदेही नहीं है। अब तक तो पुलिस महानिदेशक को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। पिछले 32 महीनों में लगभग 50 सैनिकों की जान चली गई हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जम्मू में सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए हैं और नवीनतम हमला सोमवार शाम को हुआ, जिसमें जम्मू में डोडा जिले के डेसा जंगलों में एक सेना अधिकारी सहित चार सैन्यकर्मी मारे गए। मुफ्ती ने पुलिस महानिदेशक वैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चीजों को राजनीतिक रूप से ठीक करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उन्होंने स्वैन पर कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी जैसा व्यवहार करने' का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान महानिदेशक स्थिति को राजनीतिक रूप से ठीक करने में अधिक व्यस्त हैं। उनका काम है कि कैसे पीडीपी के लोगों को तोड़ा और पत्रकारों को परेशान किया जाए... पासपोर्ट और सत्यापन को हथियार बनाया गया है। वे लोगों पर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) लगाने के नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं... हमें यहां फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसे डीजीपी की जरूरत है जो अन्य राज्यों के डीजीपी रहे हों और वह स्थिति से निपटने में निपुण हों। जिस तरह से अब काम हो रहा है, उस तरह किसी ने काम नहीं किया है। डीजीपी के खिलाफ यह हमला ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही डीजीपी स्वैन ने कश्मीरी नागरिक समाज में पाकिस्तान की सफल घुसपैठ के लिए क्षेत्रीय दलों को दोषी ठहराया था। इससे पहले पुलिस महानिदेशक स्वैन ने सोमवार को कहा कि घाटी में तथाकथित मुख्यधारा या क्षेत्रीय राजनीति की बदौलत पाकिस्तान ने नागरिक समाज के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में सफलतापूर्वक घुसपैठ की है। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती ने स्वैन पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठ रोकना उनका या प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का काम नहीं है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से जबकि घुसपैठ हो रही है, डीजीपी क्या कर रहे हैं। क्या घुसपैठ रोकना मेरा काम है, या उमर अब्दुल्ला का काम है।

कश्मीर के बहुसंख्यक लोगों से पाकिस्तानियों की तरह बरताव किया जा रहा है सरकार को पहले कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए : महबूबा मुफ्ती

आतंकी घटनाओं से लोगों में पैदा हो रहा डर का माहौल : शेख बशीर

नेशनल कांफ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि यह दुखद घटना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कठुआ, डोडा, पुंछ, राजौरी में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा होने के साथ, जवानों का भी नुकसान हो रहा है। इसमें एजेंसियां लोगों को पकड़ रही हैं, इसमें किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ा जाना चाहिए और गुनहगार पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 34 सालों से जम्मू कश्मीर आतंकवाद का सामना कर रहा है। इसका सामना करने के लिए एजेंसियों में आपसी तालमेल होना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है।

पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया : शाह

नौकरियों में भ्रष्टाचार व जातिवाद फैलाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेंसियां)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा की पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर राज्य को कुछ नहीं दिया और उन्हें नौकरियों में भ्रष्टाचार , जातिवाद फैलाने, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के साथ अन्याय करने तथा परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए। शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की भूमि तीन चीज़ों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सेना में सबसे अधिक जवान हरियाणा से हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा से हैं और देश में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन भी हरियाणा में होता है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है जिसमें वेतन और कृषि की आय नहीं गिनी जाएगी। इसके साथ ही पंचायतों में ग्रुप ए के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही ग्रुप बी के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह नगर पालिकाओं में भी ग्रुप ए के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही ग्रुप बी के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पार्टी ने देश को पहला ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री दिया है, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनके मंत्रिमंडल के 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, जिनमें 2 मंत्री हरियाणा से हैं। उन्होंने कहा कि 1957 में जब ओबीसी आरक्षण के लिए काका कालेलकर कमीशन बना तब उसे कई सालों तक लागू नहीं होने दिया गया। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब 1990 में इसे लाया गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पूरे पिछड़े समाज को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है। केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट परीक्षाओं में पहली बार 27 प्रतिशत आरक्षण इसी सरकार ने दिया है। क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाते हुए इसमें से कृषि और वैतनिक आय को बाहर रखकर एक ऐतिहासिक निर्णय भी श्री मोदी की सरकार ने लिया है।

सार संक्षेप

जोजिला दर्रे पर सड़क हादसे में तीन पर्यटकों की मौत

श्रीनगर। श्रीनगर-लद्दाख राजमार्ग पर जोजिला दर्रे पर मंगलवार को एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया जिससे बेंगलुरु के तीन पर्यटकों की मौत हो गई और एक नाबालिग घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना मंगलवार सुबह जोजिला दर्रे पर कैप्टन मोर के पास पानीमथा में हुई जब एक सूमो वाहन चालक के नियंत्रण खो देने के बाद सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। वाहन सोनमर्ग से जीरो पॉइंट की ओर जा रहा था, तभी कैप्टन मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे दो महिलाओं सहित तीन पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।

राज्यपाल रवि व सुक्खू ने की मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अलग-अलग मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अलग-अलग पोस्ट में नेताओं की मोदी से भेंट की जानकारी देते हुये उसकी तस्वीरें भी जारी की हैं।

बस व ट्रैक्टर के बीच टक्कर में पांच लोगों की मौत

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक निजी बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो जाने से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राजमार्ग पुलिस के अनुसार बुधवार को अघाड़ी एकादशी तीर्थयात्रा के अवसर पर 54 लोगों को पंढरपुर ले जा रही मुंबई की एक निजी बस मुंबई-पुणे राजमार्ग पर एक ट्रैक्टर से टकरा गई और बस खाई में गिर गई जिससे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घायलों को पास के एक्सप्रेस हाईवे पर भर्ती कराया गया है।

गौरी लंकेश हत्या मामले में तीन आरोपियों को मिली जमानत

बेंगलुरु, 16 जुलाई (एजेंसियां)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में मानवाधिकार कार्यकर्ता-पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के तीन आरोपियों को मंगलवार को जमानत दे दी। कलबुर्गी पीठ के न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के तीनों आरोपी अमित दिगवेकर, केटी नवीन कुमार और एचएल सुरेश को जमानत दे दी। तीनों आरोपियों ने सह-अभियुक्त मोहन नायक के मामले का हवाला देते हुए जमानत के लिए आवेदन किया, जिन्हें मुकदमे में देरी के कारण दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। नायक ने कहा कि उस समय 527 आरोपपत्र गवाहों में से केवल 90 से पूछताछ की गई थी। उल्लेखनीय है कि राज्य के विरोध के बावजूद जिसमें विद्वान और कार्यकर्ता एमएम कलबुर्गी की हत्या के आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने वाले पिछले उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया था। न्यायमूर्ति शेट्टी ने जमानत देने के पक्ष में फैसला किया। दिगवेकर को पहले आरोपी अमोल काले के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिस पर हत्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आरोप है। नवीन पर एक पार्क में तेरहवें आरोपी सुजीत के साथ साजिश रचने का आरोप है। सुरेश पर पंद्रहवें आरोपी विकास पाटिल को गौरी लंकेश का पता ढूंढने और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियारों को छिपाने में मदद करने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि गौरी लंकेश की पांच सितंबर 2017 की रात को पश्चिम बेंगलुरु में उनके घर के बाहर दो मोटर साइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

कावेरी जल विवाद पर सहयोग करे तमिलनाडु : शिवकुमार

सीपीआई व सीपीएम कावेरी जल को लेकर कर रहे विरोध प्रदर्शन

बेंगलुरु, 16 जुलाई (एजेंसियां)। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस विवाद पर तमिलनाडु से सहयोग की अपील की है। दरअसल, सीपीआई और सीपीएम कावेरी जल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में सवाल करने पर डीके शिवकुमार ने कहा कि जिस तरह से हमारी जरूरतों की पूर्ति की जाती है, ठीक उसी प्रकार से तमिलनाडु के जरूरतों की पूर्ति हो, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। अब वो इस संबंध में बैठक कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें अपनी बैठक करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर टिप्पणी की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा हो। कुछ लोग इस मुद्दे को तूल देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की फिराक में हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। लेकिन यहां पर मैं तमिलनाडु के संबंध में एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि जो जल हमारे द्वारा संचित किया जाएगा, उसे आप ही इस्तेमाल करेंगे। आप मेरा यकीन मानिए, उसमें हम बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। यह कर्नाटक के लोगों की तरफ से मेरी खास अपील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमिलनाडु के लोग मेरी बातों पर ध्यान जरूर देंगे। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे का समाधान हो। उधर, सीबीआई द्वारा याचिका खारिज करने पर भी डिप्टी सीएम ने टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि लोकायुक्त और सीबीआई दोनों ही मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सीबीआई अपनी सीमा से बाहर क्यों जा रही है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिलूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरी आपत्तियां क्या हैं।

कुछ लोग मुद्दों को तूल देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की फिराक में हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता : शिवकुमार

स्टालिन ने की सर्वदलीय बैठक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को कावेरी जल की कम मात्रा जारी करने पर कर्नाटक सरकार का रुख अत्यधिक निंदनीय है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कावेरी जल विवाद पर सोमवार को सर्वदलीय बैठक की। एमके स्टालिन ने कहा कि इस सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने से इनकार करने पर कर्नाटक सरकार की कड़ी निंदा की गई। हम सीडब्ल्यूआरसी से आग्रह करते हैं कि वह कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सीडब्ल्यूएमए के आदेश के अनुसार तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने का आदेश दे।

बिहार में पूर्व विधायक गुलाब यादव व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई

ट्रांसफर-पोस्टिंग से भ्रष्टाचार के सबूत मिले

■ जोगेन्द्र सोलंकी

नई दिल्ली/पटना, 16 जुलाई (देशबन्धु)। एक महिला से कथित रेप के साथ कई विवादों में फसें बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के कई ठिकानों पर मंगलवार सुबह से ईडी की रेड चली। संजीव हंस, बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं। ईडी की टीम उनके अलग-अलग ठिकानों पर रेड करती रही। पिछले दिनों संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। गुलाब यादव के भी कई ठिकानों पर सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। बता दें कि पिछले साल बिहार पुलिस ने एक महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो तो कोर्ट के आदेश पर संजीव हंस और गुलाब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी प्राथमिकी के आधार पर अब ईडी ने मामला दर्ज किया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव ने पीडित महिला को 2016 में राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाने का झांसा देकर पटना के एक फ्लैट में बुलाकर बलात्कार किया था। महिला ने केस करने की धमकी दी तो गुलाब यादव ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया था।

अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री केरल में गिरफ्तार

चेन्नई, 16 जुलाई (एजेंसियां)। अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता एवं तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री एम आर विजयभास्कर को सीबी-सीआईडी पुलिस ने 100 करोड़ रुपये की जमीन हड़पने के आरोप में मंगलवार को केरल में गिरफ्तार किया। बाद में उसे केरल से करूर लाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। करूर में अन्नाद्रमुक के कद्दावर नेता पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके एक व्यवसायी की 22 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप है, जिला सत्र न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह फरार हो गए थे।इसके बाद उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में भी इसी तरह की याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। इसी पृष्ठभूमि में, सीबी-सीआईडी पुलिस, जिसने करूर और चेन्नई में उनके आवास और कार्यालय परिसरों पर छापेमारी की थी और हाल ही में उनके भाई और उनके सहयोगियों का मोबाइल फोन सिग्नल ट्रैक किया था।

GRACIOUS COLLEGE OF PHARMACY, KAWARDHA
APPOINTMENTS

Approved by Pharmacy Council of India, New Delhi & Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai
Application are invited for following post

S. No.	Name of the Post	Sub. Specialization	No. of Post	Qualification and Experience as per PCI
1	Principal		01	15 years experience in teaching or research out of which 5 years must be as Professor/HOD in a PCI approved/ recognized pharmacy college.
2	Professor		01	10 years experience in teaching in PCI approved/ recognized Pharmacy College or research experience out of which 5 years must be as Associate Professor in PCI approved/recognized Pharmacy College
3	Associate Professor	Pharmaceutics	01	3 years experience in teaching or research at the level of Assistant Professor or equivalent in PCI approved/ recognized Pharmacy College.
		Pharma. Chemistry	01	
		Pharmacology	01	
		Pharmacognosy	01	
4	Assistant Professor	Pharmaceutics	02	3 years experience in teaching or research at the level of Lecturer or equivalent in PCI approved/ recognized Pharmacy College
		Pharma. Chemistry	02	
		Pharmacology	01	
		Pharmacognosy	01	
		Pharmaceutical QA/QC	01	
5	Lecturer		02	A lecturer will be re - designated as Assistant Professor after 2 years of teaching experience in PCI approved recognized Pharmacy College.

Other terms & conditions : -
1. Experience : As per Council Norms,
2. Pay Scale : As per UGC Pay Scale/ State Govt. Pay Scale,
3. Reservation : As per State Government

Selection Criteria :- Selection will decide on merit list will be prepared on the basis of Academic marks, Education Qualification, Interview, Experience and Academic Contribution of candidate in various field like - Number of paper publication in various national/International Journals Paper presentation in conferences. Total No. of Confrerences attended.

Last date of receipt of Application : - Within 15 days from the date of publication of advertisement.

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 228ए, एजेसी बोस रोड, कोलकाता- 700020. CIN नंबर: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	प्रदीप शर्मा/ राजेश कुमार शर्मा/ एस एल शर्मा/ शिक्षत नगर चरोदा बस स्टैंड बी एम वाई, चरोदा, वार्ड क्रमांक 20, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, भिलाई- 490023/ LBDRG00005436483	फ्लैट क्रमांक 04, प्रथम तल, ब्लॉक ए 01, ''चौहान ग्रीन वैली'', फैज-III, जुनवानी भीतरी भाग, स्मृति नगर वार्ड, चौहान टाउन, खसरा क्रमांक 41/4, 41/6, 41/7, पी.एच. क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 02, आर.एन.एम. दुर्ग 01, मौजा जुनवानी, तहसील और जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (क्षेत्रफल- 595 वर्ग फीट अर्थात 55.29 वर्ग मीटर)/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि-12.07.2024	मार्च 28, 2024 रु. 15,73,739/-	दुर्ग

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(यों) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : जुलाई 17, 2024
स्थान : दुर्ग

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

JM FINANCIAL | **जेएम फाइनैंशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड**
कार्पोरेट पहचान सं. : U67190MH2007PLC074287
पंजी. कार्यालय : 7वां तल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400 025
सम्पर्क व्यक्ति :1.एल हरि बाबू-9303166116,2.विशाल केटले-9584966653,3. ज्योति सावंत - 022-6224 1676

ई-नीलागी बिक्री सूचना - नई बिक्री

कि पीरामल कैपिटल ऐंड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः दीवान हाउसिंग ऐंड फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) ने एक ऋण समूह (निम्नलिखित ऋणों सहित) का समनुदेशन उनके संबंध में सृजित अधोवर्णित प्रतिभूति हित सहित तथा उन पर सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित सहित, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी ऐक्ट") की धारा 5(1)(बी) के तहत एक समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 29 मार्च, 2023 ("समनुदेशन अनुबंध") के माध्यम से जेएमएफएआरसी - अरण्य - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसमें आगे समनुदेशिती के रूप में संदर्भित) के पक्ष में कर दिया है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएवएफएल समनुदेशन/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी प्रचालनात्मक और प्रक्रियाओं प्रक्रमों को सुकर बनाने के लिए सेवा प्रदाता/समाहर्ता अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत और नियुक्त है।

प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर्जदार/रों से बकाया राशि की वसूली के लिए सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लिए जाने के पश्चात, अधोहस्ताक्षरी यहां नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जा में है, "जैसी है जहां है आधार", "जैसी है जो है आधार" और "जो भी है वहां है आधार" पर क्रय करने हेतु ऑफर्स यहां नीचे दिए विवरण के अनुसार आमंत्रित करते हैं :

ऋण कोड/शाखा/ कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर	मांग सूचना तिथि और राशि	सम्पत्ति पता-अंतिम	सुरक्षित मूल्य	घरोहर राशि जमा (ईएमडी) (आरपी की 10 %)	बकाया राशि (09-07-2024)
(ऋण कोड संख्या 03900003614, रायपुर (शाखा), वी वेणु (कर्जदार), वन्का मल्लिका (सह कर्जदार 1)	21-06-2022, रु. 44,57,837/- (रुपए चौवालीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ सैंतीस मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : के एवएन 515/3, पीएच ननंबर 19, एनए गौजा-कुरूड भिलाई, जिला दुर्ग, गौजा कुरूड भिलाई, जिला दुर्ग, रुंगटा कालेज के बगल, दुर्ग, छत्तीसगढ-490026 , चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नंबर 55, दक्षिण : प्लॉट नंबर 53, पूरब : 20 फीट रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर 39 एवं 40	रु. 24,53,600/- (रु. चौबीस लाख तिरेपन हजार छह सौ मात्र)	रु. 2,45,360/- (रु. दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ साठ मात्र)	रु. 59,52,526/- (रु. उनसठ लाख बावन हजार पांच सौ छब्बीस मात्र)
(ऋण कोड संख्या 03900003613, रायपुर (शाखा), वी वेणु (कर्जदार), वन्का मल्लिका (सह कर्जदार 1)	21-06-2022, रु. 44,46,802/- (रुपए चौवालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ दो मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : के एवएन 515/3, पीएच ननंबर 19 ए, एनए गौजा-कुरूड भिलाई, जिला दुर्ग, गौजा कुरूड भिलाई, जिला दुर्ग, रुंगटा कालेज के बगल, दुर्ग, छत्तीसगढ-490026 , चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नंबर 55, दक्षिण : प्लॉट नंबर 53, पूरब : 20 फीट रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर 39 एवं 40	रु. 24,53,600/- (रु. चौबीस लाख तिरेपन हजार छह सौ मात्र)	रु. 2,45,360/- (रु. दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ साठ मात्र)	रु. 59,39,490/- (रु. उनसठ लाख उनतालीस हजार चार सौ नब्बे मात्र)

ई-नीलामी की तिथि : 22-08-2024, पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 21-08-2024, अप. 4.00 बजे से पूर्व

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale या https://www.bankauction.in में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को सरफासी ऐक्ट के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस

उपरिवर्णित कर्जदार/गारंटर को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) सूचना में वर्णितानुसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक तक उपार्जित ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली कर्जदार/गारंटर से ब्याज व लागत के साथ की जाएगी।

तिथि : 17-07-2024
स्थान : ईस्ट

हस्ता./-
(प्राधिकृत अधिकारी)
(अरण्य - ट्रस्ट)